

FRA NOC Certificate regarding settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006

Date:

FORM 1(for Linear projects)

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11/9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects,

It is thus certified that laying of optical fiber cable (OFC) in forest land along the road at Hill Side on for 0.79 Hectare forest land for Laying of Optical Fiber Cable (OFC) along with road at Hill Side on, NH - 20 / 707A, Lohari - Tyuni - Mori Motor Marg. Total km 79.00 & 0.79 Ha. in Forest Division Chakrata District: Dehradun -UK by Reliance Jio.

It is further certified that:

- (a) The complete survey for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.79 Hectares** of forest area proposed for diversion for laying of optical fibre along the ROW width leased to PWD / NHAI on NH - 20 and 707A.
- (b) The diversion of forest land for facilitates managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the consent of Grama Sabhas isNot applicable / exempted for Linear projects like OFC laying (as per GOI, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (Fc Division) letter F. No. : 11-9/98-Fc (pt) dt: 28/Oct/2014.
- (c) The proposal does not involve recognized right of the Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.


District Collector Dehradun

(Full name and seal of the DC/DM)

जिलाधिकारी
देहरादून

कार्यालय - उप जिलाधिकारी, चकराता/त्युनी देहरादून
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कालसी, देहरादून

उपखण्ड चकराता, देहरादून परिक्षेत्र के चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता के अन्तर्गत **Reliance 4G project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with road at Hill Side on SH-17 Lohari-Tyuni (Km. 0.00 to 60.00 Km.) Tyuni-Mori (Km. 0.00 to 19 Km.) till Khunigad, Uttarkashi Border Total (79.00 Km, 0.79 hac.)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.79 हे० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वाणिज्यिकी कार्य हेतु **Reliance Jio Infocomm Ltd.** के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसिल-चकराता) की दिनांक..... को सम्पन्न बैठक में कार्यवाही का विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **दीपकेश्वर शर्मा** वन अधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार उप प्रभागीय वन अधिकारी

- | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | श्री दीपकेश्वर शर्मा | वन अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | श्री अशोक कुमार | उप प्रभागीय वन अधिकारी | सदस्य |
| 3. | श्री सुनील कुमार | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | महायक समाज कल्याण अधिकारी |
| 4. | श्री पुष्पा देवी | वी०डी०/पी० | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप प्रभागीय वन अधिकारी के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चकराता वन प्रभाग के क्षेत्र में जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत **Reliance 4G project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with road at Hill Side on SH-17 Lohari-Tyuni (Km. 0.00 to 60.00 Km.) Tyuni-Mori (Km. 0.00 to 19 Km.) till Khunigad, Uttarkashi Border Total (79.00 Km, 0.79 hac.)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.79 हे० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वाणिज्यिकी कार्य हेतु **Reliance Jio Infocomm Ltd.** के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वन अधिकार का कोई मामला लंबित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा जहाँगीर से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वन अधिकारी कालसी एवं त्युनी चकराता वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं संलग्नी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करने पर जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। उक्त प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चकराता परिक्षेत्र के अन्तर्गत चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता के अन्तर्गत **Reliance 4G project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with road at Hill Side on SH-17 Lohari-Tyuni (Km. 0.00 to 60.00 Km.) Tyuni-Mori (Km. 0.00 to 19 Km.) till Khunigad, Uttarkashi Border Total (79.00 Km, 0.79 hac.)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.79 हे० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वाणिज्यिकी कार्य हेतु **Reliance Jio Infocomm Ltd.** को अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

तहसील / जनपद
 प्रतिनिधि जिलाधिकारी देहरादून को सूचनाओं एवं आवश्यक नोटिसों हेतु।

उप जिलाधिकारी, चकराता
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 चकराता/कालसी/त्युनी
 उप जिलाधिकारी, चकराता
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 चकराता/कालसी/त्युनी